प्रदूषण वाले वाहनों के परमिट रद्द होंगे

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

सख्ती

- परिवहन विभाग ने शिकायत के लिए जारी किया वाट्सएप नंबर
- 152 वाहनों की हुई जांच, 88 हजार 500 जुर्माना वसूला

अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का परमिट रद्द होगा। जो वाहन मालिक प्रदूषण नियंत्रण के मानकों का पालन नहीं करेंगे उनकी गाड़ियां चलने नहीं दी जाएंगी। पटना में ऐसे वाहनों का परमिट रद्द किया जाएगा।

परिवहन विभाग ने शनिवार को प्रदूषित वाहनों की शिकायत के लिए व्हाट्सअप नंबर (6202751158) जारी किया। इस नंबर पर कोई भी प्रदूषित वाहन का वीडियो भेजकर शिकायत दर्ज कर सकता है। विभाग इस पर कार्रवाई करेगा। प्रदूषण जांच के लिए सभी मोटरयान निरीक्षक को स्मोकमीटर और गैस एनालाइजर उपलब्ध कराया गया है। पटना शहर की हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए यहां पांच जगहों हड़ताली मोड़, डाकबंगला चौराहा, करगिल चौक, सगुना मोड़ और बाइपास में शनिवार को वाहनों की जांच की गई। मानक से अधिक प्रदूषण फैलाने वाले और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं रखने वाले वाहन चालकों से जुर्माना वसूला गया। कुल 152 वाहनों की जांच हुई। जुर्माना के तौर पर 88500 रुपये की वसूली हुई। जांच के लिए एक मोटरयान निरीक्षक और प्रवर्तन अवर निरीक्षक की प्रतिनियुक्ति की गई है। परिवहन सचिव ने कहा कि वाहनों की जांच का अभियान आगे भी जारी रहेगा।